प्रेस नोट **दिनांक 02.05.2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 02.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 44 टीम गठित कर जनपद के 49 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 752 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 395 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 01 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा फ्रॉड हुए 100000 रु0/ वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे साइबर फ्रॉड अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोपागंज श्री रवीन्द्रनाथ राय के कुशल निर्देशन में, पीडित आवेदक राम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 अवधेश सिंह निवासी ग्राम- इंदारा थाना कोपागंज, जनपद मऊ अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी कहानी बताकर बताया कि आवेदक से सम्बन्धित अवैध इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे लैपटाप, फोन आदि कस्टम वालो नें पकड़ लिया है ED CBI का फर्जी धमकी देकर 198900 रूपये का गबन कर लेने के सम्बन्ध में शिकायत सं033104250042830 प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज द्वारा दिनांक 02.05.2026 को आवेदक का उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण होल्ड हुए धनराशि 100000 रु0/ वापस कराया गया।

आज दिनांक 02.05.2026 को तहसील मधुबन में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा एसडीएम मधुबन, क्षेत्राधिकारी मधुबन के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक 29/30.04.2026 की रात्रि 00.30 बजे थाना घोसी की सरकारी जीप में पीछे से टक्कर मारकर भागी ट्रेलर के चालक को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में वांछित/संदिग्ध व्यक्ति/जिला बदर तथा इनामिया अपराधियो, व जनपद में हो रही चोरी, लूट तथा मुकदमें मे वांछित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी की पुलिस टीम द्वारा दिनांक दिनांक 29/30.04.2026 की रात्रि समय 00.30 बजे सरकारी जीप वाहन संख्या UP54G0186 में रात्रि जिसमें उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, हे0का0 पवन कुमार यादव, हे0का0 प्रीतम व पीआरडी ओमप्रकाश गस्त कर रहे थे पीछे से तेज रफ्तार से आई अज्ञात ट्रेलर जिसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आकर गोरखपुर-मऊ हाईवे पर बनियापार मोड के पास जोरदार टक्कर मार देने से उक्त सरकारी जीप पुलिया के निचे करीब 6 फुट गढ्ढे में चली गयी थी जिससे उस पर गस्त कर रहे उक्त पुलिसकर्मी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे जिन्हे तत्काल सीएचसी घोसी लाकर प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल मऊ ले जाया गया था जहां इलाज के दौरान हे0का0 पवन कुमार यादव की दुखद मृत्यू हो गयी थी जिस सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2026 की रात्रि में ही थाना हाजा पर वादी उ0नि0 श्री दिवाकर राणा (हल्का प्रभारी हाइवे) के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 168/26 धारा 281/125(a)/125(b)/106(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अविनाश कुमार यादव को सुपुर्द की गयी थी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा अज्ञात ट्रेलर व चालक की तलाश हेतु एसओजी टीम के साथ ही चार टीमों का गठन किया गया था जिनके द्वारा घटना स्थल के दोनो तरफ के व गोरखपुर से लेकर बलिया व गाजीपुर हाइवे पर लगे व आस पास लगे सीसीटीवी को देखा गया था जिसमें ट्रेलर नं0 BR28GB7304 अठ्ठारह चक्का प्रकाश मे आया जिसके आधार पर उसके मालिक श्री बिन्द्रेश कशोधन से वार्ता करने के पश्चात उसके चालक संतोष यादव पुत्र मनोहर यादव नि0 रौतार निचलौल जिला महाराजगंज उत्तरप्रदेश का नाम व मो0नं0 मालुम चला। चालक के मो0नं0 का सीडीआर के आधार पर लोकेशन लेने पर उसका लोकेशन भी घटना स्थल पर पाया गया। सीसीटीवी फुटेज व लोकेशन के आधार पर अभियुक्त/चालक संतोष यादव का नाम प्रकाश मे आने पर उसके मो0नं0 व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 02.05.2026 **को प्रातः करीब 6.15 बजे उक्त चालक** को मय ट्रेलर के एसओजी टीम के मदद से थाना घोसी के पुलिस द्वारा मझवारा बाजार तिराहा पर हिरासत पुलिस व कब्जा पुलिस लिया गया। पूछताछ में चालक संतोष यादव उपरोक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गयी। अतः घटना मे प्रयुक्त ट्रेलर नं0 BR28GB7304 अठ्ठारह चक्का को थाना घोसी पर लाकर खडा कराते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुध्द नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. संतोष यादव पुत्र मनोहर यादव नि0 रौतार निचलौल जिला महाराजगंज उत्तरप्रदेश उम्र करीब 45 वर्ष

घटना मे प्रयुक्त ट्रेलर

1. ट्रेलर नं0 BR28GB7304 अठ्ठारह चक्का वाहन स्वामी श्री बिन्द्रेश कशोधन पुत्र कपिल कशोधन नि0 देवरवा बाजार थाना निचलौल जनपद महाराजगंज

घटना का दिनांक व समय

1. 29/30.04.2026 समय 00.30 बजे रात्रि में

अभियुक्त गिरफ्तार स्थान व समय

1. दिनांक 02.05.2026 **को प्रातः करीब 6.15 बजे** मझवारा बाजार तिराहा से

अनवारण किये गये अभियोग

1. मु0अ0सं0 168/26 धारा 281/125(a)/125(b)/106(1) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

मारपीट करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर क्रिश राजपूत के निर्देशन में अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 01.05.2026 को हूई मारपीट में शामिल 04 नफर आरोपियों को उ0नि0 अरविन्द सिंह मय हमराह द्वारा मुहल्ला खालसा उत्तर टोला कोल्हाण से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण- दिनांक 01.05.2026 को वादी रामविजय पुत्र स्व० पारस राजभर निवासी खालसा उत्तर टोला (कोल्हाण) थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा थाना दक्षिण टोला पर उनके भाई राम प्रताप को गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए लात घुसा लाठी डंडा व राड से मारने पीटने जिससे वादी के भाई के मौके पर ही बेहोश हो जाने के सम्बन्ध प्रा0पत्र दिया था, जिसमें फौरन नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नामजद आरोपियों को आज दिनांक 02.05.2026 को उ0नि0 अरविन्द सिंह मय हमराह द्वारा मुहल्ला खालसा उत्तर टोला कोल्हाण से मय 13.05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाते हुए चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 62/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/110 BNS थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1.आकाश साहनी पुत्र रामवृक्ष साहनी

2.विशाल कुमार पुत्र रामवृक्ष राजभर

3.धीरज राजभर पुत्र श्री नरायण

4.पंकज राजभर पुत्र बब्बू राजभर समस्त साकिनान बैरबग्गा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

थाना कोपागंज पर मुकदमें में बरामद अबैध कच्ची व देशी शराब 40 लीटर (चालीस लीटर) का कराया गया विनिष्टीकरण -

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, शराब विनिष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 02.05.2026 को नायब तहसीलदार सदर मऊ श्री शेषमणि, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना कोपागंज की उपस्थिति में थाना कोपागंज में कुल 20 अभियोंग से संबंधित अबैध कच्ची व देशी शराब कुल मात्रा (40 ली0) गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹500 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 01-05-2026 को मु0अ0सं0 191/2007 धारा 4/25 आयुध थाना कोपागंज जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त लल्लन सोनकर पुत्र सूर्यबली सोनकर निवासी फुलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को उक्त अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा ।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी नरेन्द्र कुमार थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।